

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(गुराशी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

38 / 2017
27.03.2017

रामकिशन पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी आंटोली तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक
31.08.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनीस जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री हंसराज चौधरी नायब तहसीलदार, राजकीय पेशेकार रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.09.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 392/2 मे से रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 323/1 मे से 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेशेकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कार्यालय मे बैठकर तैयार की गई ना की मौके पर। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की स्वयं की आराजी का रकबा पास होने के कारण पटवारी ने गलत अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2153 दिनांक 03.08.2021 से अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 323/1 एवं 329/2 मे अपीलांट का



972



किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चात्तवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्तवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 392/2 में से रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 323/1 में से 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली तहसील मालपुरा पर मूंग की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट के विरुद्ध पटवारी हल्का आंटोली ने आराजी खसरा 329/2 रकबा 1 बीघा एवं 323/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम आंटोली पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2015 में आराजी खसरा नम्बर 392/2 एवं 323/1 का उल्लेख किया है। न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अतिक्रमी को नोटिस आराजी खसरा नम्बर 329/2 एवं 323/1 का जारी किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में आराजी खसरा नम्बर 392/2 एवं 323/1 का उल्लेख है।

अपीलांट के कब्जे बाबत तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2153 दिनांक 03.08.2021 से अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 323/1 एवं 329/2 में रामकिशन पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी आंटोली का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2015 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय



का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 07.09.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



07-9-2021
(मुरारी लाल अग्रवाल)
जिला, डोह, कोलेक्टर, दोह